



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2019/ज्येष्ठ 29, 1941

No. 367]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2019/JYAISTHA 29, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

सा.का.नि. 436(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दंत चिकित्सा पद भर्ती नियम, 1997 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दंत पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

- 5. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसा आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. दंत सर्जन टिप्पण1: निम्नलिखित संस्था पर पदों का आवंटन निम्नलिखित क्रमवार होगा:- (i) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-25 (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया-4 (iii) सफदरजंग अस्पताल-3 टिप्पण: दंत सर्जन का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत 32 के पदों की संख्या, दंत सर्जन कनिष्ठ स्टाफ सर्जन, स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसजी) और दंत सर्जन परामर्शदाता की श्रेणी में प्रभावी किया जाना है।	32* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचितविवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100-117500 रु.) में स्तर-10	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक- (i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग I सम्मिलित मान्यता प्राप्त दंत शल्य चिकित्सक की अर्हता; या (ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग II के अधीन 1-1-1972 तक मान्यता प्राप्त दंत अर्हता प्राप्त की हो; या दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग III के अधीन केवल बाह्य भारत जब 13-8-2009 तक भारत के नागरिक को अनुदत्त किया जाता है, प्राधिकरण या संस्थान द्वारा अनुदत्त मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त की है; या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, विदेशी अर्हता रखता हो और उसे जिसने सम्मिलित किया है और जिसने 13-8-2000 से प्रभावी छान-बीन परीक्षण विनियम, 2009 के अनुसार छान-बीन परीक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, (iii) सीआरआई (अनिवार्य आवर्ती प्रशिक्षुता) के पूरा होने पर, ऐसा अभ्यर्थी जिसने सीआरआई को पूरा नहीं किया है, वह भी चयन के लिए उपस्थिति के पात्र होंगे बर्तते जिन्होंने नियुक्ति के पहले अनिवार्य प्रशिक्षुता को संतोपप्रद रूप से पूरा किया हो। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा से उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता।	एक वर्ष	सीधी भर्ती:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुटी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार या राज्य

	सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हों; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
--	---

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेहन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य 3. उप-सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता। कोई पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दंत)	32* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: दंत सर्जन का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत 32 के पदों की संख्या दंत सर्जन कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दंत) (एन.एफ.एस.जी.) और दंत सर्जन में परामर्शदाता की श्रेणी में प्रभावी किया जाना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर-11	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	रिक्तियों के लिए अनुबंधन के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: ऐसा दंत सर्जन जिसने श्रेणी अर्थात् मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर 10 में जिसने चार वर्ष नियमित सेवा की हो;	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति स्वस्थाने के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त-सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
3 स्टाफ सर्जन (दंत)	32* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: दंत सर्जन का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत 32 के पदों की संख्या, दंत सर्जन, कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसजी) और दंत सर्जन में परामर्शदाता की श्रेणी में प्रभावी किया जाना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रु.) में स्तर 12	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	रिक्तियों के लिए अनुबंधन के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (67,700-208700 रु.) में ऐसा कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दंत) जिसने इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो,	समूह " विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
4 स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसजी)	32* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: दंत सर्जन का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत 32 के पदों की संख्या दंत सर्जन, कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसजी) और दंत सर्जन में परामर्शदाता के श्रेणी में प्रभावी किया जाना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु.) में स्तर 13	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	रिक्तियों के लिए अनुबंधन के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (78,800-209200 रु.) में स्तर 12 श्रेणी में ऐसा स्टाफ सर्जन (दंत) जिसने श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
5 दंत सर्जन में परामर्शदाता	32* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: दंत सर्जन का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत 32 के पदों की संख्या दंत सर्जन, कनिष्ठ स्टाफ सर्जन, स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसजी) और दंत सर्जन में परामर्शदाता के श्रेणी में प्रभावी किया जाना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रु.) में स्तर 14	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	रिक्तियों के लिए अनुबंधन के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (123100-215900रु.) में स्तर 13 में ऐसा स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसडी) जिसने सात वर्ष नियमित सेवा की हो या वर्तमान में समूह "क"पद में 20 वर्ष नियमित सेवा की हो:</p> <p>टिप्पण: ऐसे स्टाफ सर्जन (दंत) की प्रोन्नति जो 29.10.2008 अर्थात डीएसपी स्कीम के अधीन वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी तक फायदों के प्रदान करने की तारीख को नियमित आधार पर वेतन बैंड-3 में सकल वेतन 7600 रुपए का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं साकानि संख्या 53 तारीख 03.02.1998 द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शासित होते रहेंगे बशर्ते जिन्होंने डीएसपी स्कीम तारीख 29.10.2008 के अधीन फायदे का विकल्प न लिया हो।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, स्वा. परि. कल्याण मंत्रालय-अध्यक्ष 2. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अपर सचिव - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

1	2	3	4	5	6
6 सहायक आचार्य	<p>04* (चार) 2019</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण:- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के लिए सभी चार पदों को आवंटित किया जाता है।</p> <p>2. सहायक आचार्य का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत चार पदों की संख्या के भीतर सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य और आचार्य (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) के ग्रेड में प्रभावी किया जाना है।</p>	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित अनुसूचिणीय	वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर-11	लागू नहीं होता	<p>40 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्वीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

7	8	9	10
<p>आवश्यक: (1) दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 (1948का 16) के भाग 1 में सम्मिलित मान्यता प्राप्त दंत शल्य स्नातक की अर्हता।</p> <p>या दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) अनुसूची के भाग II के अधीन 1-1-72 तक मान्यता प्राप्त दंत अर्हता प्राप्त की हो या दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 का 16 की अनुसूची के भाग III के अधीन केवल बाह्य भारत जब 13.8.2009 तक भारत के नागरिक को अनुदत्त किया जाता है, मान्यता प्राप्त प्राधिकरण या संस्थान द्वारा अनुदत्त अर्हता प्राप्त की हो, या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है विदेशी अर्हता रखता हो और इसे जिसमें बैठा है और जिसने 13.08.2009 से प्रवृत्त वन-जीव परीक्षण के अनुसार छानवीन परीक्षण के अनुसार छानवीन परीक्षण विनियम 2009 के अनुसार छानवीन परीक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>(3) भारत में किसी राज्य दंत परिषद या अधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(4) मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्थान से अपेक्षित स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात शिक्षक या निदेशक या रजिस्ट्रार या वरिष्ठ स्थानिक प्राध्यापक के रूप में विशेषतः 3 वर्ष अध्यापन का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती:-</p> <p>टिप्पण:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिकित्यां। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो।</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) के स्तर 10 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिक तथा आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

<p>टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	<p>समूह " विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

11	12	13
लागू नहीं होता।	<p>समूह " विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
सह-आचार्य	<p>04* (चार) 2019</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण:- सहायक आचार्य का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत चार पदों की संख्या के भीतर सहायक आचार्य, आचार्य और आचार्य (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) के ग्रेड में प्रभावी किया जाना है।</p>	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रु.) में स्तर-12	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	रिक्तियों के लिए अनुबंध के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर-11 में सहायक आचार्य जिसने दो वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति स्वस्थाने के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
8. आचार्य	04* (चार) 2019 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण:- सहायक आचार्य का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत चार पदों की संख्या के भीतर सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य और आचार्य (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) के ग्रेड में प्रभावी किया जाना है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित अतनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु.) में स्तर-13	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	रिक्तियों के लिए अनुबंध के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
वेतन मैट्रिक्स (78,800-209200 रु.) के स्तर 12 सह-आचार्य जिसने चार वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
9. आचार्य (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	04* (चार) 2018 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण:- सहायक आचार्य का पद कुल सम्मिलित स्वीकृत चार पदों की संख्या के भीतर सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य और आचार्य (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) के ग्रेड में प्रभावी किया जाना है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित अतनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	रिक्तियों के लिए अनुबंध के बिना स्व स्थाने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु.) के स्तर 13 में आचार्य जिसने सात वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष 2. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महा उपनिदेशक - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
10. जंभिका मुख सर्जन	1* (एक) (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण:- जंभिका मुख सर्जन का पद, जंभिका मुख सर्जन, जंभिका मुख सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान) जंभिका मुख (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में जंभिका मुख सर्जन सम्मिलित कुल स्वीकृत एक पद के भीतर प्रचालित किया जाना	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11, (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता	टिप्पणी 1:- 40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7	8	9	10
आवश्यक:- (i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग-I में सम्मिलित मान्यता प्राप्त दंत सर्जन स्नातक की अर्हता या दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-II के अधीन 1-1.72 तक मान्यता प्राप्त दंत अर्हता प्राप्त की हो; या दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-III के अधीन केवल बाह्य भारत जब 13.08.2009 तक भारत के नागरिक को अनुदत्त किया जाता है, मान्यता प्राप्त प्राधिकरण या संस्थान द्वारा अनुदत्त अर्हता प्राप्त की हो; या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, विदेशी अर्हता रखता हो और जो बैठा है या उत्तीर्ण किया हो और जिसने में 13.8.2009 में प्रवृत्त छानबीन परीक्षण के अनुसार-बीन परीक्षण विनियम-द्वान, 2009 छानबीन परीक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।; (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख सर्जन/ प्रोथोडेनेटिक्स में अर्थात एमडीएस दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर अर्हता; (iii) स्नातकोत्तर के पश्चात मुख और जीमिका मुख में तीन वर्ष का अनुभव और	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकेगी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (56100-175500 रु.) के स्तर 10 में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी

(iv) भारत में राज्य दंत परिपद या अधिकरण से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।			
<p>टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार/संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			

11	12	13
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'I' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
11. जंभिका मुख सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान)	<p>1* (एक) (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण:- जंभिका मुख सर्जन का पद, जंभिका मुख सर्जन, जंभिका मुख सर्जन (वरिष्ठ वेतन प्रशासनिक श्रेणी) में जंभिका सर्जन की सम्मिलित कुल स्वीकृत एक पद के भीतर प्रचालित किया जाए।</p>	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 12, (78,800-209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	शून्य	रिक्तियों के लिए अनुबंध के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (67700-208700रु.) के स्तर-11 में जंभिका मुख सर्जन जिसने दो वर्ष नियमित सेवा की हो।	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
12. जंभिका मुख सर्जन (एनएफएसजी)	<p>1* (एक) (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण:- जंभिका मुख सर्जन का पद, जंभिका मुख सर्जन, जंभिका मुख सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान) जंभिका मुख्य (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में जंभिका मुख सर्जन सम्मिलित कुल स्वीकृत एक पद की संख्या के भीतर प्रचालित किया जाए।</p>	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- क 13, (123100-215900 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	रिक्तियों के लिए अनुबंध के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) के स्तर 12 में ऐसा जंभिका मुख सर्जन वरिष्ठ वेतनमान जिसने चार वर्ष सेवा की हो।	समूह 'I' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपमहानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय- सदस्य	लागू नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
13. जंभिका मुख सर्जन (एस ए जी)	1* (एक) (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण:- जंभिका मुख सर्जन का पद, जंभिका मुख सर्जन, जंभिका मुख सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान) जंभिका मुख्य (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में जंभिका मुख सर्जन सम्मिलित कुल स्वीकृत पद के भीतर प्रचालित किया जाए।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14, (144200-218200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	रिक्तियों के लिए अनुबंध के बिना स्वस्थाने के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु.) के स्तर-13 में ऐसा जंभिका मुख सर्जन (एनएफएसज) जिसने सात वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'I' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वस्थाने प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. सचिव; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निदेशक/स्वास्थ्य सेवाओं के महा अपर-निदेशक-सदस्य 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अपर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए.12018/01/2011-सीएचएस VI]

गायत्री मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATIONNew Delhi, the 12th June, 2019

G.S.R. 436(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dental Posts Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Dental Posts, namely:-

1. Short title and commencement.—

1. These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare, Dental Posts Recruitment Rules, 2019.
2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—** The number of said posts, their classification and their level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Colum (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post 1	Number of posts 2	Classification 3
1. Dental Surgeon	32*(2019) * Subject to variation dependent on workload. Note-1: Institution wise allocation of posts will be as under:— (i) Central Govt. Health Scheme - 25 (ii) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - 4 (iii) Safdarjung Hospital—3 Note-2: The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon, Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental)(NFSG) and Consultant in Dental Surgery within the total combined sanctioned strength of 32.	General Central service Group 'A' Gazetted Non- Ministerial

Level in Pay Matrix 4	Whether Selection or non-Selection post 5	Age limit for direct recruits 6
Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable	Not Exceeding 35 years Note-1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in

		Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of J and K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub division of Chamba, district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
7	8
<p>Essential: (i) A recognised Bachelor of Dental Surgery degree qualification included in part-I of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A recognised Dental qualification obtained upto 01.11.1972 under Part-II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A recognised Dental qualification granted by authority or institution outside India only when granted to a citizen of India upto 13.08.2009 under Part-III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR Any person who is citizen of India possessing foreign qualification and has appeared and passed the Screening Test Examination as per Screening Test Regulation 2009 w.e.f. 13.08.2009. (ii) Should be registered with any State Dental Council or Tribunal in India.</p> <p>(iii) Completion of CRI (compulsory rotating internship)-candidates who may not have completed CRI are also eligible to appear for selection provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.</p> <p>Note:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Services Commission for reasons recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p>	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
9	10	11
One year	<p>Direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer or deputation or long illness or on study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union Territories.</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, in the parent cadre or department; or (ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; And (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications by the Ministry).</p>	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of; <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairman; 2. Director, Central Government Health Scheme - Member; 3. Deputy Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Member. 	Consultation with Union Public Services Commission necessary for filling up the post.

1	2	3
2. Junior Staff Surgeon (Dental)	32*(2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon, Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental)(NFSG) and Consultant in Dental Surgery within the total combined sanctioned strength of 32.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non- Ministerial

4	5	6
Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Selection Post	Not Applicable

7	8
Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not applicable	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion: Dental Surgeon with four years regular service in the grade i.e. Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

12	13
Group A Departmental Promotion Committee (for considering in-situ promotion) consisting of:--- <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary Ministry of Health and Family Welfare - Chairman; 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member; 3. Joint Secretary, Ministry of Health and family welfare - Member. 	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3
3. Staff Surgeon (Dental)	32*(2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon,	General Central Service Group A Gazetted Non- Ministerial

	Junior Staff Surgeon, Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental)(NFSG) and Consultant in Dental Surgery within the total combined sanctioned strength of 32.	
--	--	--

4	5	6
Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)	Selection Post	Not Applicable

7	8
Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not applicable	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion: Junior Staff Surgeon (Dental) with five years regular service in the grade Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).

12	13
Group A Departmental Promotion Committee (for considering in-situ promotion) consisting of:-- 1 Additional Secretary Ministry of Health and Family Welfare - Chairman. 2 Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member. 3 Joint Secretary, Ministry of Health and family welfare - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3
4. Staff Surgeon (Dental) (NFSG)	32*(2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon, Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental)(NFSG) and Consultant in Dental Surgery within the total combined sanctioned strength of 32.	General Central Service Group A Gazetted Non- Ministerial

4	5	6
Level 13 of the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Selection	Not Applicable

7	8
Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not applicable.	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion: Staff Surgeon (Dental) with four years regular service in the grade Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).

12	13
Group ' A ' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ promotion) consisting of:- 1 Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare – Chairman; 2 Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. – Member; 3 Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3
5. Consultant in Dental Surgery.	32*(2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon, Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental) (NFSG) and Consultant in Dental Surgery within the total combined sanctioned strength of 32.	General Central Service Group A Gazetted Non- Ministerial

4	5	6
Level 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)	Selection	Not applicable

7	8
Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion Staff Surgeon (Dental) (NFSG) with seven years regular service in Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or 20 years of regular service in a group A post in the stream. Note: Promotion of Staff Surgeon (Dental) drawing the pay scale in PB-3 + GP-7600/- on regular basis as on 29.10.2008 i.e. the date of extending the benefit upto SAG grade under DACP scheme shall continue to be governed with the provisions of notified RRs vide G.S.R. No. 53 dated 03.02.1998 provided they have not opted for the benefit under DACP scheme dated 29.10.2008.

12	13
Group ' A ' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ promotion) consisting of:- 1. Secretary Ministry of Health and Family Welfare – Chairman; 2. Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services – Member; 3. Any Additional Secretary in Ministry of Health and Family Welfare – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3
6. Assistant Professor	04 (Four)* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note: 1. All the four posts are allocated for Lady Hardinge Medical College, New Delhi. 2. The post of Assistant Professor is to be operated in the grade of Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Professor (SAG) within the total combined sanctioned strength of 4.	General Central service Group- 'A' Gazetted Non- Ministerial

4	5	6
Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not exceeding 40 years. Note:- (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of J and K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub division of Chamba, district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

7	8
<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised Bachelor of Dental Surgery degree qualification included in part-I of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A recognised Dental qualification obtained upto 01.11.1972 under Part-II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A recognised Dental qualification granted by authority or institution outside India only when granted to a citizen of India upto 13.08.2009 under Part-III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>Any person who is citizen of India possessing foreign qualification and has appeared and passed the Screening Test Examination as per Screening Test Regulation 2009 w.e.f. 13.08.2009.</p> <p>(ii) A post- graduate degree in Dental Surgery from a recognised University or Institution.</p> <p>(iii) Should be registered with any State Dental Council or Tribunal in India.</p> <p>(iv) 3 years' teaching experience in the specialty as Tutor or Demonstrator or Registrar or Senior Resident or Lecturer after requisite post Graduate qualification from a recognised teaching institution.</p> <p>Note:</p> <p>1- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note. 2.- The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable

9	10	11
One year	<p>Direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or on study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union Territories.</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with 5 years' regular service in Level 10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500).</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary Ministry of Health and Family welfare. - Chairman 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member. 3. Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare. - Member.	Consultation with Union Public Services Commission is necessary for filling up of post.

1	2	3
7. Associate Professor	04 (Four)* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Assistant Professor is to be operated in the grade of Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Professor (SAG) within the total combined sanctioned strength of four.	General Central service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial

4	5	6
Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)	Selection	Not Applicable

7	8
Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not applicable	By Promotion on In-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion Assistant Professor with two years regular service in the Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ Promotion) consisting of:- 1. Additional Secretary ---Ministry of Health and family Welfare. - Chairman 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member 3. Joint Secretary, Ministry of Health and Family welfare - Member	Consultation with Union Public Services commission is not necessary.

1	2	3
8. Professor	04 (Four)* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Assistant Professor is to be operated in the grade of Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Professor (SAG) within the total combined sanctioned strength of four.	General Central service Group 'A' Gazetted Non- Ministerial

4	5	6
Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)	Selection	Not Applicable

7	8
Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not applicable	By Promotion on In-situ basis without linkage to vacancies.	Associate Professor with four years regular service in the Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ Promotion) consisting of:- 1. Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. – Chairman. 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS – Member. 3. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. – Member	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

1	2	3
9. Professor (SAG).	04 (four)* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note:- The post of Assistant Professor is to be operated in the grade of Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Professor (SAG) within the total combined sanctioned strength of four.	General Central Service Group A Gazetted Non-Ministerial

4	5	6
Level 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)	Selection	Not- Applicable

7	8
Not Applicable	Not applicable

9	10	11
Not-Applicable	By Promotion on In-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion:- Professor with seven years regular service in the Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ Promotion) consisting of:- 1. Secretary, Ministry of health and Family Welfare – Chairman. 2. Director General of Health Services/ Additional Director General of Health Services – Member 3. Any Additional Secretary in the Ministry of health and Family – Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

1	2	3
10. Maxillofacial Surgeon	01 (One) (2019)* *Subject to variation dependent upon workload Note:- The post of Maxillofacial Surgeon is to be operated in the grade of Maxillofacial Surgeon, Maxillofacial Surgeon (Sr. Scale), Maxillofacial Surgeon (NFSG) & Maxillofacial Surgeon (SAG) within the total combined sanctioned strength of one.	General Central service Group- 'A' Gazetted Non-Ministerial.

4	5	6
Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Not applicable.	Not exceeding 40 years. Note 1:- Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 2:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba, district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep..

7	8
<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised Bachelor of Dental Surgery degree qualification included in part-I of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A recognised Dental qualification obtained upto 01.11.1972 under Part-II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>A recognised Dental qualification granted by authority or institution outside India only when granted to a citizen of India upto 13.08.2009 under Part-III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948).</p> <p>OR</p> <p>Any person who is citizen of India possessing foreign qualification and has appeared and passed the Screening Test Examination as per Screening Test Regulation 2009 w.e.f. 13.08.2009.</p> <p>(ii) A post- graduate qualification in Dentistry i.e. M.D.S. in Oral Surgery/Prosthodontics from a recognised University or equivalent.</p> <p>(iii) A minimum of three years' experience in a Oral & Maxillofacial Surgery after Post-Graduation; and</p> <p>(iv) Should be registered with any State Dental Council or Tribunal in India.</p> <p>Note. 1- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note. 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable

9	10	11
One year	By Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or on study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union Territories. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, in the parent cadre or department; or	Not applicable

	(ii) with 5 years' regular service in Level 10 of the Pay Matrix (Rs. 56100-177500). (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Note: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	
--	---	--

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary Ministry of Health and Family welfare. - Chairman 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member 3. Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare. - Member	Consultation with Union Public Services Commission necessary for filling up the post.

1	2	3
11. Maxillofacial Surgeon (Senior Scale)	01 (one) (2019)* *Subject to variation dependent upon workload Note:- The post of Maxillofacial Surgeon is to be operated in the grade of Maxillofacial Surgeon, Maxillofacial Surgeon (Sr. Scale), Maxillofacial Surgeon (NFSG) & Maxillofacial Surgeon (SAG) within the total combined sanctioned strength of one.	General Central service Group-'A' Gazetted Non-Ministerial

4	5	6
Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)	Selection	Not applicable

7	8
Not applicable	Not applicable

9	10	11
Nil	By Promotion on In-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion Maxillofacial Surgeon with two years regular service in the Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ promotion) consisting of:- 1. Additional Secretary Ministry of Health and Family welfare. - Chairman 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member. 3. Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare. - Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

1	2	3
12. Maxillofacial Surgeon (NFSG)	01 (One) (2019)* *Subject to variation dependent upon workload Note:- The post of Maxillofacial Surgeon is to be operated in the grade of Maxillofacial Surgeon, Maxillofacial Surgeon (Sr. Scale), Maxillofacial Surgeon (NFSG) and Maxillofacial Surgeon (SAG) within the total combined sanctioned strength of one.	General Central service Group-'A' Gazetted Non-Ministerial.

4	5	6
Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)	Selection	Not applicable

7	8
Not applicable	Not applicable

9	10	11
Nil	By Promotion on In-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion Maxillofacial Surgeon (Sr. Scale) with four years regular service in the Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ promotion) consisting of:- <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary Ministry of Health and Family welfare. - Chairman 2. Deputy Director General (DDG) of Health Services in Dte.GHS. - Member. 3. Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare. - Member. 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1	2	3
13. Maxillofacial Surgeon (SAG)	1 (One) (2019)* *Subject to variation dependent upon workload. Note:- The post of Maxillofacial Surgeon is to be operated in the grade of Maxillofacial Surgeon, Maxillofacial Surgeon (Sr. Scale), Maxillofacial Surgeon (NFSG) and Maxillofacial Surgeon (SAG) within the total combined sanctioned strength of one.	General Central service Group- 'A' Gazetted Non- Ministerial.

4	5	6
Level 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Selection	Not applicable

7	8
Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	By Promotion on In-situ basis without linkage to vacancies.	Promotion Maxillofacial Surgeon (NFSG) with seven years regular service in the Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering In-situ promotion) consisting of:- <ol style="list-style-type: none">1. Secretary Ministry of Health and Family welfare. - Chairman2. Director General of Health Services/Additional Director General of Health Services - Member.3. Any Additional Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A.12018/01/2011-CHS-VI]

GAYATRI MISHRA, Jt. Secy.